UPGK010012262019

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर।
उपस्थितः नितिन कुमार ठाकुर (एच०जे०एस०)

सत्र परीक्षण संख्या– 88/2019

उत्तर प्रदेश राज्य

........अभियोजन

बनाम

गुड्डू यादव पुत्र स्व0 रामवृक्ष यादव
निवासी– शिवपुर कुर्मियान टोला, थाना झगहां, जनपद गोरखपुर।

........अभियुक्त

प्राथमिकी संख्या	322/2018
घटना दिनांक व समय	02.10.2018, रात 09:00 बजे
प्राथमिकी दिनांक व समय	23.10.2018, 13:33 बजे
थाना	झगहां
धारा	364 भारतीय दण्ड संहिता 1860 संक्षिप्ततः भा0द0सं0
आरोप पत्र समर्पित दिनांक	25.01.2019
आरोप पत्र प्रसंज्ञान दिनांक	31.01.2019
आरोप विरचन दिनांक	04.04.2019
निर्णय दिनांक	17.07.2026

निर्णय

1. उपरोक्त सत्र परीक्षण, मामले की लिखित तहरीर में अंकित घटनाक्रम से जनित प्राथमिकी जो कि प्राथमिकी नं० 322/2018 थाना झगहां, जिला गोरखपुर पर **दिनांक 23.10.2018** को अपराध अंतर्गत धारा 364 भा0द0सं0 के तहत पंजीकृत हुई थी, से उदभूत हुआ है।

2. उक्त प्राथमिकी इस मामले के शिकायतकर्ती के द्वारा दिनांक 02.10.2018 को घटित घटना के संबंध में संबंधित पुलिस को दी गयी एक हस्तलिखित तहरीर पर आधारित है उक्त तहरीर में उल्लिखित तथ्य शब्दशः निम्न प्रकार हैः

> "निवेदन है कि हम प्रार्थिनी तसरिफून पत्नी स्व0 गुलाब मोहम्मद ग्राम शिवपुर बाबू टोला थाना झगहां जनपद गोरखपुर का मूल निवासिनी हूँ। हम प्रार्थिनी मोती राम अड्डा चौराहे पर दुकान करके अपना जीवन–यापन करती हूँ कि **दिनांक 02.10.18 को समय करीब 09:00 बजे रात** को मेरा लड़का उम्र करीब 26 वर्ष नाम हसमुद्दीन अली अपने दुकान से मोती राम अड्डा चौराहे पर अण्डा की दुकान पर अण्डा लेने गया और अण्डा न मिलने पर अपना नई गाड़ी बजाज डिसकभर से वापस घर जा रहा था कि मोती राम अड्डा व मिलन चौराहे के बीच हम प्रार्थिनी का लड़का व गाड़ी समेत हम प्रार्थिनी के लड़के को बहला–फूसलाकर कुर्मियान टोला थाना झगहां जनपद गोरखपुर के गुड्डू यादव पुत्र स्व0 रामवृक्ष यादव ने कही गायब कर दिया देर रात होने के बाद हम प्रार्थिनी व हमारे परिवार के लोग काफी तलाश किये, लेकिन मेरे लड़के व गाड़ी का कहीं पता नहीं चला।"
>
> अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि हम प्रार्थिनी के प्रार्थना–पत्र की जाँच कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।
>
> **दिनांक 23.10.18** **प्रार्थिनी नि0अ0 तसरिफून निषा**

2.1 दिनांक 23.10.2018 को संबंधित थाने पर **गुड्डू यादव** के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात् संबंधित पुलिस द्वारा मामले की विवेचना प्रारंभ की गयी और विवेचना पूर्ण होने के पश्चात्

संबंधित पुलिस द्वारा दिनांक 25.01.2019 को **गुड्डू यादव** के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अंतर्गत धारा–364 भा0द0सं0 का बनना बखूबी पाते हुए आरोप–पत्र तैयार किया गया। जिसे कि संबंधित मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के समक्ष दिनांक 31.01.2019 को समर्पित किया गया। जिसपर उक्त विद्वान मजिस्ट्रेट ने उसी दिनांक को आरोप पत्र में उल्लिखित धारा के अपराध का संज्ञान आरोप पत्र में नामित व्यक्ति **गुड्डू यादव** के विरूद्ध लिया। तत्पश्चात् मामले को अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय पाते हुए उपार्पण पूर्व अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उक्त विद्वान मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा सत्र न्यायालय को कर दिया गया। तदोपरांत यह मामला माननीय सत्र न्यायालय, गोरखपुर द्वारा इस न्यायालय को निर्णयन वास्ते अंतरित किया गया।

3. मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 04.04.2019 को आरोप–पत्र में नामित व्यक्ति **गुड्डू यादव** पर लगे अभियोग के संदर्भ में आरोप विरचित किये जाने की प्रक्रिया की गयी।

3.1 पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित है कि उक्त **गुड्डू यादव** के विरूद्ध मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 04.04.2019 को आरोप दण्डनीय अपराध अंतर्गत धारा–364 भा0द0सं0 का आरोप विरचित किया गया एवं उक्त आरोप को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया था जिनसे कि उसने इन्कार किया था एवं विचारण की माँग की थी अतएव यह सत्र परीक्षण उदभूत हुआ।

4. अपने वाद/ पक्ष को सिद्ध करने हेतु **मौखिक साक्ष्य** के रूप में अभियोजन ने **कुल 6 गवाहों** को न्यायालय के समक्ष उपस्थित एवं परीक्षित करवाया है जो निम्नलिखित है–

1. **पी०डब्ल्यू०–1** तसरिफून निशा (सूचनाकर्ती)
2. **पी०डब्ल्यू०–2** मुबारक अली
3. **पी०डब्ल्यू०–3** कमरूद्दीन अली
4. **पी०डब्ल्यू०–4** उपनिरीक्षक आनन्द कुमार (विवेचक)
5. **पी०डब्ल्यू०–5** हेड मोहर्रिर सुवाष शंकर प्रधान (प्राथमिकी लेखक)
6. **पी०डब्ल्यू०–6** रामानंद यादव (डॉग हैण्डलर)

4.1 अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित **दस्तावेजी साक्ष्य** के रूप में न्यायालय में परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है–

क्र० सं०	दस्तावेजी साक्ष्य	प्रदर्श/वस्तु प्रदर्श	साबित करने वाला साक्षी
1.	तहरीर	**प्रदर्श क–1**	**पी०डब्ल्यू०–1** तसरिफून निशा (सूचनाकर्ती)
2.	नक्शा नजरी	**प्रदर्श क–2**	**पी०डब्ल्यू०–4** उपनिरिक्षक आनन्द कुमार (विवेचक)
3.	आरोप–पत्र	**प्रदर्श क–3**	**पी०डब्ल्यू०–4** उपनिरिक्षक आनन्द कुमार (विवेचक)
4.	प्राथमिकी	**प्रदर्श क–4**	**पी०डब्ल्यू०–5** हेड मोहर्रिर सुवाष शंकर प्रधान (प्राथमिकी लेखक)
5.	कायमी जी0डी0	**प्रदर्श क–5**	**पी०डब्ल्यू०–5** हेड मोहर्रिर सुवाष शंकर प्रधान (प्राथमिकी लेखक)

5. अभियुक्त को उसपर लगाये गये आरोप एवं उसके विरूद्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य जोकि अभियोजन ने प्रस्तुत किये पर अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया एवं इस संदर्भ में अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० विभिन्न प्रश्नोत्तर माध्यम से अंकित किये गये। उक्त कथन **अंतर्गत धारा 313 में कुल 11 प्रश्न** अभियुक्त से पूछे गये जिनके उत्तर में अभियुक्त ने उसपर लगे अभियोग को गलत व झूठा बताया गया साथ ही सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अभिकथन किया है।

6. दोनों पक्षों द्वारा रखे गये तर्क–

इस सम्पूर्ण मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियोजन और बचाव पक्ष की और से उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गये तर्कों को इस न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष के अंश में समाहित किया गया है।

7. निश्चयन बिन्दू

मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस वर्तमान मामले में निम्नलिखित **निश्चयन बिन्दू** बनाया जाना समीचीन समझती है–

> **क. क्या इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा इस मामले के गायब हुए व्यक्ति को घटना दिनाँक और समय पर उसे जान से मार देने की नीयत से अपहृत किया गया या फिर उसका डिस्पोज ऑफ कर दिया जायेगा की नीयत से अपहरण किया गया?**
> **निर्णय–** विश्लेषण के अनुसार।
>
> **ख. अभियुक्त की दोषसिद्धी की दशा में उनपर अधिरोपित सजा?**
> **निर्णय–** अंतिम आदेश के अनुसार।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहों की मुख्य परीक्षा मामले की विशिष्टता के दृष्टिगत निम्नलिखित रूप से हूबहू अंकित की गयी हैः–

8.1 साक्षी **पी०डब्ल्यू०–1 तसरिफून निशा** जोकि इस मामले की सूचनाकर्ती हैं ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि घटना **दिनांक 02.10.2018 समय रात 9.00 बजे** मैं अपने दुकान पर बैठी थी। **उसी समय मेरा लड़का हसमुद्दीन अपने मोटर साइकिल से गुड्डू को बैठाकर ले गये।** यह कहकर मेरे लड़के को ले गये कि आगे मेरा घर है, वहाँ पर मुझे उतार दीजिएगा तथा वहाँ से आप घर वापस आ जाइंएगा, परंतु मेरा लड़का वापस नहीं आया। मैं रात 11.00 बजे अपने लड़के कमरूद्दीन के साथ खोजने गयी, तो रास्ते में आयुष अस्पताल गयी तो वहाँ पर भी नहीं मिला, फिर गुड्डू यादव के घर में गयी तो वहाँ पर कोई मिला नहीं तो दूसरे दिन शाम को 07.00 बजे मेरा लड़का कमरूद्दीन ने गुड्डू के भाई सुनील को फोन किया कि मेरा भाई वापस कर दो, मोटर साइकिल वापस कर दो इतना सुनते ही सुनील ने फोन काट दिया। फिर तीसरे दिन गुड्डू वगैरह प्रहलाद प्रधान के घर गये थे। प्रहलाद से कहा कि गुड्डू के मामले में न पड़े, परंतु

उन्होंने घटना को सच–समझकर पैरवी करना शुरू कर दिया। प्रहलाद प्रधान के साथ जा जाकर बहुत पैरवी करने पर मुकदमा मेरा लिखा गया। मुकदमे में मैंने गुड्डू यादव का नाम लिखवाया व उनके साथ कुछ अन्य ओर लोग भी थे, जिनका नाम मैं नहीं जानती। उन लोगों का नाम मुल्जिम बताएगा। मेरे लड़के की हत्या गुड्डू, अजय नाऊ, संगम यादव ने मिलकर किया है। आयुर्वेद चिकित्सालय के एक कमरे में खून का धब्बा व कपड़े से दुर्गन्ध आ रही थी। मैं यह बात दरोगा जी को बतायी थी कि चलकर देख लीजिए व दरोगा को भी मैं घटनास्थल निरीक्षण भी करायी थी। दिनेश के खेत में लाश गाढ़ी हुई थी, जिसमें से एक जोड़ी जूता मिला था। तीन साल बाद दिनेश के खेत में लाश को खोदकर जमीन से निकाला गया। बाडी सड़गल गयी थी। जूता पहचान कर बताया गया कि जूता हसमूद्दीन का है। जे०सी०बी० से दस हजार देकर खेत खुदवाया गया था। उपरोक्त घटना के बारे में दरोगा जी ने मेरा बयान कई बार लिया था। पत्रावली में कागज सं०–4क/3 थाना झगहां पर प्रार्थना पत्र दी थी, जिसको मैं बोलकर लिखवायी थी। दरोगा ने पढ़कर सुनाया था, जिसपर मेरा निशानी अंगूठा बना हुआ है। मैं अपनी निशानी अंगूठा की पहचान करती हूँ, जिसपर **प्रदर्श क–1** डाला गया।

8.2 पी०डब्ल्यू० 2 मुबारक अली ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि हसमुद्दीन अली पुत्र स्व० गुलाब मोहम्मद मेरे पड़ोसी हैं। मेरे घर के आसपास रहने के कारण मेरे परिवार व उनके परिवार से मेरा लगाव है। हम दिनांक 19.09.2018 को मोतीराम अड्डा स्थित बजाज ओटो मोबाइल एजेन्सी से एक नयी मोटर साइकिल बजाज डिस्कवर 110CC, जिसका इंजन नं०–JBYRJO57106 जिसको मु०–66,500/– रूपय में खरीदें थे व 26,663/– जमा कर किश्त में खरीदा था। उक्त मोटर साइकिल का 05 साल फुल बीमा था। उक्त मोटर साइकिल खरीदने के 3 दिन बाद उक्त मोटर साइकिल को हसमुद्दीन को चलाने के लिए दे दिया। उक्त मोटर साइकिल मेरे नाम से थी। मोटर साइकिल के साथ ही हसमुद्दीन कहाँ गायब हो गया, जानकारी नहीं है। आज तक न मेरी मोटर साइकिल मिला व न तो गायब हसमुद्दीन ही मिला। उक्त मोटर साइकिल के संबंध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मैंने मोटर साइकिल हसमुद्दीन द्वारा ले जाना बताया था, कहाँ पर ले गये यह जानकारी नहीं है।

8.3 पी०डब्ल्यू० 3 कमरूद्दीन अली ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 02.10.2018 की है, समय 09.00 बजे रात का था। मेरा भाई हसमुद्दीन

अण्डा की दुकान पर अण्डा खाने गया। **वह दुकान पर अकेले गया। वहाँ पर गुड्डू यादव मिले।** नई बजाज मोटर साइकिल से था। **गुड्डू ने हसमुद्दीन की मोटर साइकिल पर बैठकर उनके साथ कहीं गये।** रात भर हसमुद्दीन घर पर नहीं आया। हम लोग खोजबीन शुरू किये खोज करते हुए हम लोग गुड्डू यादव के घर पर गये तो घर वालों ने कहा कि गुड्डू यादव बिहार गये हैं। 2–3 दिन हम लोग रिश्तेदारी में भी खोजे, परंतु हसमुद्दीन नहीं मिला। उसके बाद हम लोग थाने पर गये दो दिन दौड़ा, परंतु मुकदमा गुड्डू के खिलाफ नहीं दर्ज हुआ। उसके बाद हम लोग सी०ओ० साहब के वहाँ गये व वहाँ पर भी छायाप्रति सी०ओ० साहब को दिया, तो सी०ओ० साहब थाने पर फोन किये तो मुकदमा गुड्डू के खिलाफ दर्ज हुआ। दो–तीन दिन पुलिस दौड़ी तब गुड्डू यादव को पकड़ा। दो दिन गुड्डू यादव थाने पर था, फिर भाग गया। हम लोग गुड्डू को मोतीराम अड्डा चौराहे पर देखा तो हम लोग सी०ओ० साहब के वहाँ गये। सी०ओ० साहब हम लोगों का लेकर थाने पर आये, फिर पुलिस गुड्डू यादव को पकड़कर आयी और हम लोगों ने कहा कि किसी और को छोड़ना था, गलती से गुड्डू यादव को छोड़ दिया गया, न तो हसमुद्दीन मिला व न तो मोटर साइकिल मिला। हसमुद्दीन को गायब गुड्डू यादव ने किया घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था व पूछताछ किया था।

8.4 पी०डब्ल्यू० 4 उपनिरीक्षक आनन्द कुमार जोकि इस मामले के विवेचक है ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि दिनांक 25.10.2018 को मैं थाना झगहां गोरखपुर में बतौर उपनिरीक्षक नियुक्त था। उक्त तिथि को मु०अ०सं०–322/2018 धारा 364 भा0द0सं0 थाना झंगहा की विवेचना थानाध्यक्ष के आदेश से मुझे प्राप्त हुई। उक्त तिथि को मैंने केस डायरी का पर्चा नं०–01 किता किया, जिसमें नकल चिक, अवलोकन नकल रपट व लेखक एफ०आई०आर० हेड मोहर्रिर सुभाष शंकर प्रधान का बयान लेकर अंकित किया। दिनांक 30.10.2018 को पर्चा नं०–02 किता किया, जिसमें वादिनी तसरिफून निशा पत्नी स्व० गुलाब मोहम्मद के दुकान पर, जो मातीराम अड्डा जाकर उसका बयान अंकित किया। वादिनी के निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल करके केस डायरी में अंकित किया। मौके पर घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया। नक्शा नजरी घटनास्थल मु०अ०सं०–322/2018 धारा 364 भा0द0सं0 थाना झंगहा शामिल पत्रावली कागज सं०–6क/1 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैंने वादिनी के निशानदेही पर तैयार किया था। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर को प्रमाणित करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। दिनांक 31.10.2018 पर्चा नं०–03 अंकित किया, जिसमें अपहृत

हसमुद्दीन अली की बरामदगी हेतु संबंधित स्थानों पर तलाश करने, अपहृत के भाई कमरूद्दीन अली, चश्मदीद साक्षी सचिन पुत्र रामवृक्ष का बयान लेकर अंकित किया। अपहृत का फोटो व पोस्टर गुमशुदी के क्रम में रोडवेज बसों में, प्राइवेट बसों व अन्य स्थानों पर पूर्व में चस्पा कराये जाने का उल्लेख किया। दिनांक 01.11.2018 को पर्चा नं०-04 किता किया, जिसमें डॉग स्कायड टीम डॉग हैण्डलर रामानन्द यादव व सुमेर प्रसाद व स्वान लिलि को साथ लेकर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, शिवपुर पहुँचकर खून के धब्बों के स्थान को सुँघाकर खोजबीन किये जाने तथा डॉग हैण्डलर रामानंद यादव व सुमेर प्रसाद का बयान लेकर अंकित किया। दिनांक 02.11.2018 को पर्चा नं०-05 किता किया जिसमें अपहृत की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी के बारे में प्रयास करने का उल्लेख किया। दिनांक 04.11.2018 को पर्चा नं०-06 किता किया, जिसमें मुखबीर की सूचना पर मोतीराम अड्डा पहुँच कर विधिक नियम का पालने करते हुए सुबह करीब 10 बजे अभियुक्त गुड्डू यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी-शिवपुर कुर्मियान टोला थाना-झंगहा गोरखपुर को गिरफ्तार करने व अभियुक्त गुड्डू उपरोक्त का बयान लेकर अंकित किया। अभियुक्त ने बताया कि वह तथा अपहृत हसमुद्दीन नशे के आदी थे। घटना दिनांक व समय पर अपहृत हसमुद्दीन नई मोटर साइकिल के साथ मोतीराम अड्डा चौराहे पर अंडे की दुकान पर आया था। मोटर साइकिल लेने के लालच में मैं उसे अपने साथ लेकर फरेन नाला के किनारे गया व उसे नाला में धक्का देकर गिरा दिया व मोटर साइकिल फानपुर ले जाकर बेच दिया। अभियुक्त द्वारा पूर्व में किये गये अपराध की जानकारी होने पर मु०अ०सं०-36/2012 धारा 364, 201 भा0द0सं0 व मु०अ०सं०-217/18 धारा 379,411 भा0द0सं0 का विवरण उसी पर्चे में अंकित किया। अभियुक्त के बताने के अनुसार उसे लेकर फरेन नाला जाकर अपहृत हसमुद्दीन के शव के प्रयास हेतु जाल डाला गया, किंतु कोई शव बरामद नहीं हुआ। दिनांक 09.11.2015 को पर्चा नं०-07, 16.11.2018 को पर्चा नं०-08 व दिनांक 22.11.2018 को पर्चा नं०-09 किता किया, जिसमें अपहृत हसमुद्दीन की बरामदगी सुराग पतारसी का उल्लेख किया। दिनांक 27.11.2018 को पर्चा नं०-10 किता किया, जिसमें साक्षी शौकत अली का बयान लेकर अंकित किया, जिसमें अपहृत को अभियुक्त गुड्डू यादव के साथ दिनांक समय घटना देखना व बताया था। दिनांक 05.12.2018 पर्चा नं०-11 किता किया, जिसमें राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल वॉर्ड के कमरे में से बरामद खून के धब्बों को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे जाने का उल्लेख किया। दिनांक 06.12.2018 को पर्चा नं०-12 में अपहृत हसमुद्दीन के सुराग पतारसी का उल्लेख किया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजे गये डॉकेट के वापस आने का उल्लेख किया। दिनांक

13.12.2018 का उक्त डॉकेट को पुनः विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणसी का पर्चा नं०–13 में उल्लेख किया है। दिनांक 16.12.2018 को पर्चा नं०–14 में अवलोकन प्रपत्र डॉकेट, अवलोकन सी०डी०आर० मोबाइल नं०–9506435803 व 9120614718 का अवलोकन कर अंकित किया। दिनांक 24.12.2018 को पर्चा नं०–15, दिनांक 02.01.2019 को पर्चा नं०–16 व दिनांक 06.01.2019 को पर्चा नं०–17 में अपहृत हसमुद्दीन व उसके साथ गायब हुई मोटर साइकिल के पतारसी सुरागरसी का उल्लेख किया। दिनांक 08.01.2019 को पर्चा नं०–18 किता किया, जिसमें वादिनी मुकदमा द्वारा भेजे गये अन्य प्रार्थना, जिसमें अभियुक्त के भाई ओमप्रकाश यादव पुत्र कृपाल यादव के भी घटना में शामिल होने का उल्लेख किया गया था, का अवलोकन कर अंकित किया गया। दिनांक 14.01.2019 को पर्चा नं०–19 किता किया, जिसमें अभियुक्त गुड्डू यादव का मजीद बयान लिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिये, जिसका उल्लेख किया। दिनांक 15.01.2019 को पर्चा नं०–20 में न्यायालय के आदेश पर जिला कारागार पहुँचकर अभियुक्त गुड्डू यादव का मजीद बयान लेकर अंकित किया। दिनांक 19.01.2019 को पर्चा नं०–21 किता किया, जिसमें आयुर्वेदिक अस्पताल शिवपुर फील्ड यूनिट टीम के साथ जाकर उक्त चिकित्सालय आवासीय कमरे, जिसमें पूर्व से खून के धब्बे को एकत्रित कर परीक्षण हेतु भेजा गया था, उसका ताला खोलकर फील्ड यूनिट टीम के अधिकारी व कर्मचारी द्वारा अपने लिये गये उपकरण से उक्त कमरे के फर्श पर पड़े सूखे खून के धब्बे व बाल को एकत्रित करके लिये जाने व फील्ड यूनिट प्रभारी लोकनाथ पाण्डेय का बयान लेकर अंकित किया। दिनांक 23.01.2019 का पर्चा नं०–22 किता किया, जिसमें फील्ड यूनिट टीम द्वारा आवासीय कमरा राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल से लिये गये खून के धब्बों व अन्य सामग्री को प्राप्त कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणसी भेजे जाने का उल्लेख किया। उसी पर्चे में वादिनी तसरिफून निशा का मजीद बयान लेकर अंकित किया। दिनांक 25.01.2019 को पर्चा नं०–23 किता किया, जिसमें अपहृत हसमुद्दीन के साथ गायब हुई मोटर साइकिल बजाज डिस्कवर व पंजीकृत स्वामी मोबारक अली का बयान लेकर अंकित किया। तमामी तफ्तीश बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल व गवाहों के बयान से अभियुक्त गुड्डू यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी शिवपुर कुर्मियान टोला थाना झंगहा जिला गोरखपुर जुर्म धारा 364 भा०द०सं० का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र दिनांक 25.01.2019 विरूद्ध अभियुक्त गुड्डू यादव अंतर्गत धारा 364 भा०द०सं० माननीय न्यायालय में दाखिल किया। आरोप पत्र पत्रावली कागज सं०–3क/1 ता 3क/2 है, जिसपर मेरा दिनांक सहित हस्ताक्षर है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिसपर **प्रदर्श क–3** डाला गया है।

8.5 पी०डब्ल्यू० 5 सुवाष शंकर प्रधान जोकि इस मामले के प्राथमिकी है ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि दिनांक 23.10.18 थाना झगहां पर मैं हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था। उसी दिन मुझे एक प्रार्थना पत्र वादिनी तसरिफून निशा पत्नी स्व० गुलाम मोहम्मद निवासी–शिवपुर बाबू टोला थाना–झंगहा जनपद गोरखपुर के प्रार्थना पत्र पर मु०अ०सं०–322/2018 धारा 364 भा0द0सं0 में पंजीकृत किया। पत्रावली में कागज सं०–4क/3 शामिल है, जिसके पृष्ठ भाग पर मेरे प्रभारी का हस्ताक्षर है तथा थाने की मुहर भी लगी हुई है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे द्वारा बोलने पर कम्प्यूटर ऑपरेटर ने लिखा। घटना दिनांक 02.10.2018 समय 21.00 बजे तथा घटना की सूचना का समय 13.33 बजे दिनांक 23.10.2018 को दिया गया, जिसमें मु०अ०सं०–322/2018 धारा 364 भा0द0सं0 में दर्ज की गयी, जो पत्रावली में कागज सं०–4क/1 से 4क/2 शामिल है। उसपर थाना प्रभारी का हस्ताक्षर है, मैं उनके हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जिसपर **प्रदर्श क–4** अंकित किया गया है तथा दिनांक 23.10.2018 को समय 13.33 बजे जी०डी०नं०–26 मु०अ०सं०–322/2018 धारा 364 भा0द0सं0 थाना झगहां में दर्ज किया गया। इस जी०डी० वाले कागज में मेरे थाना प्रभारी का हस्ताक्षर है मैं उनके हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जो पत्रावली में कागज सं०–5क/3 शामिल है, जिसपर मेरा हस्ताक्षर है, मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जिसपर **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया है। उक्त जी०डी० मेरे बोलने पर कम्प्यूटर द्वारा लिखा गया है।

8.6 पी०डब्ल्यू० 6 रामान्द यादव (डॉग हैण्डलर) ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 23.10.18 समय 13:33 बजे घटनास्थल से मोतीराम अड्डा की दूरी 08 किलोमीटर है जो राजकीय चिकित्सालय शिवपुर में गंध काफी दिन पूर्व का है, जिससे स्वान लिलि परख नहीं पा रही है। यदि घटना 24 घंटे के अंदर होता तो लाभप्रद परिणाम निकलता। यह स्वान पूर्व में काफी लोगों के आने जाने से स्वान लिलि कुछ नहीं, सही नहीं खोज पा रही है। थाने से सूचना मिलने पर स्वान लिली को लेकर मैं घटनास्थल पर गया था।

9. साक्ष्य का मूल्यांकन एवं निष्कर्ष–

9.1 सम्पूर्ण पत्रावली का गहन परिशीलन किया गया तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा रखे गये तर्कों का मनन किया गया।

9.2 अभियोजन कथनाक के शुरूआत एक लिखित तहरीर जोकि इस मामले में गायब हुए व्यक्ति जिसके संबंध में विमर्श हुआ है उसकी माँ तसरिफून निशा ने दिनांक 23.10.2018 को प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर इस मामले की प्राथमिकी अस्तित्व में आयी थी। उक्त मामले की तहरीर में यह अंकित है कि उक्त प्रार्थिनी मोतीराम अड्डा चौराहे पर दुकान करके अपना जीवन यापन करती थी। उक्त प्रार्थिनी आगे लिखती है कि दिनांक 02.10.2018 को रात्रि करीब 9 बजे उसका लड़का हसमुद्दीन अली उम्र करीब 26 वर्ष अपनी दुकान से मोतीराम अड्डा चौराहे पर अण्डा की दुकान पर अण्डा लेने गया और अण्डा न मिलने पर अपनी नयी गाड़ी बजाज डिस्कवर से वापस घर जा रहा था इसी बीच मोतीराम अड्डा व मिलन चौराहे के बीच गुड्डू यादव पुत्र स्व० रामवृक्ष यादव ने प्रार्थिनी के बेटे को उसकी गाड़ी समेत बहला फूसलाकर कहीं गायब कर दिया, देर रात होने के बाद प्रार्थिनी व उसके परिवार के लोग काफी तलाश किये लेकिन उसके बेटे व गाड़ी का कहीं पता नहीं चला।

9.3 **उक्त लिखित तहरीर से ही स्पष्ट है कि इस मामले की प्रार्थिनी का बेटा दिनांक** 02.10.2018 **की रात 9 बजे से लापता था तथा प्रार्थिनी ने जो कहानी बतायी है वह किसी जानकारी के आधार पर बतायी है ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रार्थिनी ने अपने बेटे को किसी के द्वारा ले जाते हुए नहीं देखा गया है जैसा उक्त तहरीर में उल्लिखित बातों से स्पष्ट होता है।**

9.4 उल्लेखनीय रूप से संबंधित पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की गई और विवेचना पश्चात् संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय में आरोप–पत्र प्रेषित किया किन्तु उक्त आरोप–पत्र में यह अंकित है कि अपहृत हसमुद्दीन अली की बरामदगी हेतु विवेचना प्रचलित है।

9.5 संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा उक्त आरोप–पत्र में अंकित अपराध अन्तर्गत धारा–364 भा०द०सं० का संज्ञान उक्त आरोप–पत्र में नामित गुड्डू यादव के विरूद्ध लिया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले को सत्र परीक्षणीय पाते हुए दिनांक 02.02.2019 को संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को उपार्पित कर दिया गया, जहाँ से यह मामला विचारण और निस्तारण वास्ते अन्तरण के आधार पर प्राप्त हुआ। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 04.04.2019 को अभियुक्त गुड्डू यादव के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत

धारा–364 भा०द०सं० विरचित किया गया। आरोप उसे पढ़कर समझाया गया और उक्त आरोप से उसने इंकार किया और विचारण की माँग की।

9.6 अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने हेतु कुल 6 गवाहों को प्रस्तुत एवं परीक्षित किया है, जिसमें **पी०डब्ल्यू०–1** तसरिफून निशा अपहृत की माँ है, **पी०डब्ल्यू०–2** मुबारक अली उक्त **पी०डब्ल्यू०–1** के जानकार है, **पी०डब्ल्यू०–3** कमरूद्दीन अली इस मामले के अपहृत हसमुद्दीन का भाई है और इस प्रकार से **पी०डब्ल्यू०–1** से लेकर **पी०डब्ल्यू०–3** तक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत एवं परीक्षित कराये गये तथ्य के गवाह है जबकि **पी०डब्ल्यू०–4** उ०नि० आनन्द कुमार इस मामले के विवेचक है तथा **पी०डब्ल्यू०–5** हेड मुहर्रिर सुवाष शंकर प्रधान प्राथमिकी लेखक है तथा **पी०डब्ल्यू०–6** रामानन्द यादव डॉग हैण्डलर के रूप में औपचारिक साक्षी के रूप में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत एवं परीक्षित कराये गये हैं।

9.7 **उल्लेखनीय रूप से इस वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये गवाहों के साक्ष्य के मूल्यांकन से पूर्व ही यह न्यायालय यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक समझती है कि स्वीकृत रूप से इस वर्तमान मामले में अपहृत का कोई सुराग तलाशने में पुलिस असफल रही है। पुलिस द्वारा न ही यह स्थापित कर पायी है कि इस मामले के अपहृत की मृत्यु हो चुकी है, न ही उसका शव बरामद कर सकी और न ही वह जिस मोटर साइकिल से गया था उस मोटर साइकिल के संबंध में कोई तथ्य जुटा पाने में सफल रही है और ऐसे में यह सम्पूर्ण मामला सीधे सीधे परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो जाता है।**

9.7.1 अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्यों के गवाहों ने कौन सी परिस्थिति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जिससे इस मामले के अभियुक्त के संबंध में यह अवधारित किया जा सके कि उसके द्वारा इस मामले में गायब हुए व्यक्ति को हत्या के उद्‌देश्य से अपहरण किया गया था या अपहृत को ऐसे व्ययनित किया जाये कि वह अपने हत्या होने के खतरे में पड़ जाये और इस प्रकार से अभियुक्त ने अपराध परिभाषित अन्तर्गत धारा–364 भा०द०सं० का अपराध कारित किया हो यह स्पष्ट हो सके।

9.8 इस प्रकार से अपराध अन्तर्गत धारा–364 भा०द०सं० में दिये गये प्रावधान से स्पष्ट है कि अभियोजन इस वर्तमान मामले में युक्तियुक्त संदेह से परे सर्वप्रथम यह स्थापित करे कि अभियुक्त द्वारा इस मामले के गायब हुए व्यक्ति हसमुद्दीन का अपहरण किया गया था और अपहरण की परिभाषा जैसा कि धारा–362 भा०द०सं० में दिया गया उसके अनुसार अभियोजन को यह साबित करना था कि अभियुक्त ने इस मामले के अपहृत को जिस स्थान पर वह था वहाँ से जाने के लिए विवश किया था या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित किया था जबकि इस मामले में इस संबंध में कि अपहृत हसमुद्दीन को अभियुक्त द्वारा उसके स्थान से कहीं जाने हेतु विवश किया गया था या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित किया गया था के संबंध में साक्ष्य का अभाव है जहाँ तक इस मामले की प्राथमिकी का प्रश्न है उसमें यह नहीं अंकित है कि अभियुक्त ने कथित दिनांक और समय को अपहृत को जबरदस्ती ले गया था या फिर उसे बहला फूसलाकर कहीं जाने हेतु उत्प्रेरित किया गया था। इसी तरीके से इस मामले की प्रार्थिनी पी०डब्ल्यू०–1 ने जो बातें अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है। उसके अनुसार कथित घटना दिनांक और समय पर उसका लड़का हसमुद्दीन अपनी मोटर साइकिल से गुड्डू को बैठाकर ले गया इससे भी दर्शित हो रहा है कि अभियुक्त गुड्डू प्रार्थिनी के लड़के हसमुद्दीन को कहीं ले गया हो इस संबंध में स्पष्ट शंका है यहाँ यह न्यायालय स्पष्ट कर देना चाहती है यह न्यायालय इस पी०डब्ल्यू०–1 के साक्ष्य में आयी विसंगति पर विशेष चर्चा किया जाना इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत यथेष्ट नहीं समझती है। मामले का सीधा सीधा पहलू है कि इस मामले की पीड़िता पी०डब्ल्यू०–1 का बेटा गायब हो गया न ही पुलिस या कोई अन्य उसका सुराग पाने में सक्षम हो सका।

9.8.1 उल्लेखनीय रूप से इस मामले में अभियोजन द्वारा **पी०डब्ल्यू०–2** मुबारक अली जोकि प्रार्थिनी का परिचित है को साक्षी के रूप में परीक्षित किया है किन्तु उसकी मुख्य परीक्षा में सिवाय इस तथ्य कि इस मामले का अपहृत हसमुद्दीन जो गाड़ी लेकर गया वह उसके नाम था के अलावा कोई विशेष तथ्य सामने नहीं आया है जिसका कि विश्लेषण या मूल्यांकन किया जाना आवश्यक हो।

9.9 इसी प्रकार **पी०डब्ल्यू०–3** कमरूद्दीन जो इस मामले के अपहृत हसमुद्दीन का भाई है उसकी मुख्य परीक्षा में आये तथ्य से भी अभियोजन कथानक को कोई समर्थन नहीं मिल रहा है क्योंकि इस **पी०डब्ल्यू०–3** ने अपनी मुख्य परीक्षा में जहाँ यह कहा है कि कथित घटना दिनांक

और समय को उसका भाई हसमुद्दीन अण्डा की दुकान पर अण्डा खाने गये वह दुकान पर अकेले गया वहाँ दुकान पर गुड्डू यादव मिले। नयी बजाज मोटर साइकिल से था गुड्डू, हसमुद्दीन की मोटर साइकिल पर बैठकर उसके साथ कहीं गया। उक्त कथन के सीधे सीधे पठन से यह स्पष्ट होता है कि यह **पी०डब्ल्यू०-3** कमरूद्दीन एक ही समय पर दो स्थान पर नहीं हो सकता है जैसा कि वह बता रहा है। यदि घर पर उसने हसमुद्दीन को जाते देखा वैसी स्थिति में अण्डे की दुकान पर हसमुद्दीन से कौन मिला इस संबंध में वह कुछ नहीं बता सकता। यदि वह कुछ बताता है तो उससे इस **पी०डब्ल्यू०-3** की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है।

9.9.1 इस प्रकार से न ही **पी०डब्ल्यू०-1** और **पी०डब्ल्यू०-2, पी०डब्ल्यू०-3** द्वारा इस मामले के अपहृत हसमुद्दीन को ले जाते हुए देखा गया है। यदि यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्त गड्डू यादव के द्वारा अपहृत हसमुद्दीन को ले जाया गया था तब भी उससे यह साबित नहीं होता कि उसके द्वारा हसमुद्दीन को जबरदस्ती ले जाया गया था या फिर उसे प्रवंचनापूर्ण तरीके से कही जाने के लिए उसे उत्प्रेरित किया गया था क्योंकि इस संबंध अभियोजन साक्ष्य का पूर्ण अभाव है ऐसे में अपराध अन्तर्गत धारा-362 भा०द०सं० को उपस्थापित करने में अभियोजन पूर्ण रूप से असफल रहा है। ऐसे में अपराध अन्तर्गत धारा-364 भा०द०सं० के गठन हेतु अपेक्षित अवयवों को जुटाने में अभियोजन पूर्ण रूप से असफल रहा है।

9.10 जहाँ तक इस मामले के विवेचक उपनिरीक्षक आनन्द कुमार के न्यायालय में दिये गये साक्ष्य का प्रश्न है, उक्त साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य निकलकर सामने नहीं आया है जिससे यह लगता हो कि इस मामले के विवेचक के द्वारा इस मामले की गम्भीरता से विवेचना की गई हो। उल्लेखनीय रूप से उक्त **पी०डब्ल्यू०-4** विवेचक के साक्ष्य में यह तथ्य आया है कि कथित राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के कमरे से बरामद खून के धब्बों को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था **किन्तु उक्त के संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई भी रिपोर्ट अभियोजन द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।** साथ ही उक्त **पी०डब्ल्यू०-4** विवेचक के साक्ष्य में यह तथ्य भी आया है कि 19.01.2019 को उक्त आयुर्वेदिक अस्पताल के उस कमरे से जहाँ खून के धब्बे मिले थे वहाँ के फर्श से सूखे खून के धब्बे एवं बाल एकत्रित करके पुलिस फील्ड यूनिट टीम द्वारा लिया गया था और उसे भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणसी परीक्षण हेतु भेजा गया था **किन्तु अभियोजन द्वारा**

इस संबंध में भी कोई भी रिपोर्ट जोकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा भेजी गई हो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9.11 उल्लेखनीय रूप से इस न्यायालय ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उक्त रिपोर्टों को न्यायालय में नहीं प्रस्तुत किये जाने से उपजी स्थिति के संबंध में विचार किया है। उक्त के संबंध में इस न्यायालय का यह स्पष्ट मत है कि विवेचक को वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करने का कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि इस वर्तमान मामले में विवेचना के दौरान कथित रक्त अंश और बाल पुलिस को मिले थे यदि पुलिस या विवेचक को यह समझ होती तब वे अवश्य इस मामले के गायब हुए व्यक्ति के माता-पिता के डी०एन०ए० का सैम्पल एकत्रित करते और उसकी मिलान पाये गये रक्त से करते किन्तु ऐसा करना विवेचक ने उचित नहीं समझा साथ ही जब अभियुक्त पुलिस के कब्जे में था ऐसी स्थिति में जो बाल पुलिस को विवेचना के दौरान मिला था उसका मिलान भी अभियुक्त के डी०एन०ए० से किया जा सकता था साथ ही साथ उस बाल का मिलान भी गायब हुए व्यक्ति के माता-पिता से किया जा सकता था। पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा है कि इस संबंध में विवेचक द्वारा सोचा भी नहीं गया और आरोप-पत्र में गायब हुए व्यक्ति के तलाश या बरामदगी के संबंध में विवेचना जारी है लिखकर अपने कार्य की इतिश्री समझ ली गई।

9.12 उल्लेखनीय रूप से इस वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा लास्ट सीन टूगेदर थ्योरी के आधार पर अपने मामले को साबित करने की कोशिश किया है किन्तु इस वर्तमान मामले में जब यही नहीं साबित है कि इस मामले में गायब हुआ व्यक्ति हसमुद्दीन की मृत्यु हुई या नहीं या फिर उसकी मृत्यु हुई तो कब हुई, ऐसी स्थिति में तब जबकि उक्त हसमुद्दीन के गायब होने और मृत्यु होने के समय के संबंध में कोई स्पष्ट तथ्य नहीं है ऐसी स्थिति में यदि यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्त को आखिर बार हसमुद्दीन के साथ देखा गया था। हालांकि इस वर्तमान मामले में न ही पी0डब्ल्यू0-1 और पी0डब्ल्यू0-3 के साक्ष्य से यह विश्वसनीय रूप से साबित हो सका है कि उन दोनों ने अभियुक्त को अपहृत हसमुद्दीन के साथ घटना दिनांक और समय को (आखिरी बार) देखा गया था अतएव इस वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा लास्ट सीन टूगेदर थ्योरी के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। तब भी इस वर्तमान मामले में अभियुक्त गुड्डू यादव को हसमुद्दीन के गायब होने हेतु जिम्मेदार केवल उक्त आधार पर ठहराया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

9.13 इस प्रकार से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कथानक से यह तो स्पष्ट है कि इस मामले में एक युवक आज से 8 वर्ष पूर्व गायब हुआ किन्तु उसका अपहरण हुआ या अपहरण करके उसकी मृत्यु कारित किसी के द्वारा कर दी गई इस संबंध में अभियोजन साक्ष्य लाने में पूर्ण रूप से असफल रही है फलस्वरूप यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है और इसी के अनुक्रम में इस मामले का एकमात्र अभियुक्त उसके विरूद्ध विरचित आरोप अपराध अन्तर्गत धारा–364 भा०द०सं० में दोषमुक्ति का अधिकारी है।

9.14 यहाँ यह न्यायालय उल्लेख करना आवश्यक समझती है कि इस वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरूद्ध हत्या का कोई आरोप अर्थात् अपराध अन्तर्गत धारा–302 भा०द०सं० का आरोप का विरचन नहीं हुआ है अतएव यह न्यायालय इस संबंध में इस वर्तमान निर्णय में विचार किया जाना विधि सम्मत नहीं समझती है।

10. तद्नुसार इस वर्तमान मामले के सभी विनिश्चयन बिन्दू जो कि इस निर्णय के **प्रस्तर संख्या**-7 में अंकित है निर्णीत किया जाता है।

दिनांक–17.07.2026

(नितिन कुमार ठाकुर)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश।

आदेश

1. अभियुक्त **गुड्डू यादव पुत्र स्व0 रामवृक्ष यादव** को सत्रवाद संख्या-88/2019, मुकदमा अपराध संख्या 322/2018, थाना झगहां, जनपद गोरखपुर में विरचित आरोप अन्तर्गत धारा-364 भा०द०सं० से **दोषमुक्त किया जाता है** और यह निर्देशित किया जाता है कि दोषमुक्त की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखी जाये।

2. दोषमुक्त जमानत पर है। अतः उसके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते है एवं उसके जमानदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

3. अपील न प्रस्तुत किये जाने कि दशा में इस मामले पर जब्त की गई वस्तु (यदि कोई है) तो अपील अवधि के पश्चात् नष्ट कर दिया जाए और अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किये जाये।

4. धारा 437 ए सी.आर.पी.सी. के प्रावधानों के अनुपालन न किये जाने की दशा में दोषमुक्त को यह आदेशित किया जाता है कि दोषमुक्त **20,000/- (बीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र** व समान राशि के दो प्रतिभू आदेश होने के 7 दिनों के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करे।

5. इस निर्णय के फाइंडिंग की एक प्रति संबंधित को प्रेषित की जाए।

दिनांक–17.07.2026

(नितिन कुमार ठाकुर)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश।

मेरे उद्बोधन पर आशुलिपिक अहसान अली द्वारा उक्त निर्णय को टंकित किया गया और यह निर्णय जोकि मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है खुले न्यायालय में आज **दिनांक–17.07.2026** को उद्घोषित किया गया।

इस सत्र परीक्षण की पत्रावली अभिलेखागार को संदर्भित की जाए।

दिनांक–17.07.2026

(नितिन कुमार ठाकुर)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश।